

न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहार वाद क.135 ए/2015

संस्थापित दिनांक 17/07/2014

- 1 रुसतम सिंह पुत्र कुन्दन सिंह यादव उम्र 70 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम पखोजिया परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... वादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र कप्तान सिंह आयु 50 वर्ष।
 2. रामजीलाल पुत्र कप्तान सिंह आयु 45 वर्ष।
 3. कप्तान सिंह पुत्र भगवान सिंह आयु 70 वर्ष।
 4. राजाराम पुत्र भगवान सिंह आयु 75 वर्ष।
 5. रवि सिंह पुत्र रामस्वरूप आयु 25 वर्ष।
 6. राममोहन सिंह पुत्र रामजीलाल आयु 22 वर्ष
- समस्त जाति यादव समस्त निवासीगण ग्राम पखोजिया परगना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

..... प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा अधि. श्री जी0एस0गुर्जर एड0
 प्रतिवादीगण द्वारा अधि0 श्री शिवनाथ शर्मा एड0

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 31.03.2017 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम पखोजिया परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क. 174 मिन रकवा 3 विस्वा जिसकी लम्बाई 75 फीट एवं चौड़ाई तीस फुट है, जिसके पश्चिम में सड़क, पूर्व में लालसिंह का मकान उत्तर में पड़त जगह एवं दक्षिण में शासकीय हैण्डपंप है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है कि स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि ग्राम पखोजिया परगना गोहद में भूमि सर्वे क. 174 रकवा 0.32 हेक्टेयर मिन रकवा .03 अर्थात् 3 विस्वा स्थित है जिसके पश्चिम में सड़क, पूर्व में लालसिंह का मकान उत्तर में पड़त जगह एवं दक्षिण में शासकीय हैण्डपंप है उक्त भूमि ग्राम आबादी से लगी हुयी जगह है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है। उपरोक्त वादग्रस्त जगह पर वादी का पूर्वजों के समय से कब्जा बर्ताव है। वादग्रस्त जगह पर वादी का हर किसमें कब्जा बर्ताव है। वादग्रस्त जगह पर वादी का गौड़ा रहा है जिसमें वादी के पशु बंधते थे। उक्त जगह पर पहले बैलगाड़ी एवं कृषि उपकरण आदि रखे जाते थे पर बीस वर्ष पहले से वादी वादग्रस्त जगह पर भूरा डालने लगा है। वादी के द्वारा लगाये गये वृक्ष खड़े हैं तथा गौड़ा की चारों ओर से नींव खोदकर नींव भरी हुयी है। इस प्रकार वादग्रस्त जगह पर वादी का निरंतर निर्विघन हरकिस्मी कब्जा बर्ताव रहा है। उक्त वादग्रस्त जगह पर जमींदारी काल में ही माफीदार ने दिनांक 24/03/43 को निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की थी। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त जगह से कोई संबंध नहीं रहा है। वादी बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति है। प्रतिवादीगण वादी को नुकसान पहुंचाने

के उद्देश्य से वादी के स्वत्व व आधिपत्य की वादग्रस्त जगह को हड़पने पर आमादा हैं एवं वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। दिनांक 07/07/14 को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त जगह पर मिट्टी, ईंट डालने का प्रयास किया था। वादी ने प्रतिवादीगण को रोका था तो प्रतिवादीगण ने वादी को जान से मारने की धमकी दी थी तथा वादी की महिलाओं को भी गंदी-गंदी गालियाँ दी थीं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जगह पर भरी हुयी नींव को तोड़ना चाहते हैं तथा वादी के घूरे हटाकर विवाद करने पर आमादा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त जगह पर वादी के कब्जा बर्ताव में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क. 1 लगायत 6 द्वारा वादपत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वादपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त जगह पर वादी अथवा उसके पूर्वजों का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादी का भी वादग्रस्त जगह पर गौड़ा नहीं रहा है। वादी का मकान वादग्रस्त जगह से पच्चीस तीस मकान छोड़कर है। वादग्रस्त जगह पर वादी का किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है। वादी को कभी-भी किसी जमींदार ने विवादित जगह पर निर्माण करने की अनुमति नहीं दी है। वादग्रस्त जगह किसी जमींदार के स्वामित्व की नहीं थी अतः जमींदार को विवादित जगह पर निर्माण की स्वीकृति देने का अधिकार नहीं था। वादग्रस्त जगह वादी के स्वत्व व आधिपत्य की नहीं है, बल्कि प्रतिवादीगण के निस्तार बर्ताव व आधिपत्य की जगह है। प्रतिवादीगण का रिहायसी मकान वादग्रस्त जगह के पास है। वादग्रस्त सर्वे क. 174 के सम्पूर्ण रकवा 0.32 पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है। वादग्रस्त जगह पर वादी की कोई नींव नहीं भरी है और न ही वादी का घूरा है। वादग्रस्त जगह प्रतिवादीगण के निस्तार की जगह है। वादग्रस्त जगह ग्राम आबादी की जगह नहीं है, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में निस्तार चरनोई दर्ज होकर म.प्र. शासन के स्वामित्व की भूमि है। वादी ने मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार नहीं बनाया है। वादी द्वारा वादग्रस्त जगह के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1. क्या वादी ग्राम पखोजिया परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क. 174 मिन रकवा 3 विस्वा जिसकी लम्बाई 75 फीट चौड़ाई 30 फुट है जिसके पश्चिम में सड़क पूर्व में लाल सिंह का मकान उत्तर में पडत जगह, दक्षिण में शासकीय हैण्डपंप है जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है पर पूर्वजों के समय से आधिपत्यधारी है?
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य से अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है?
3. क्या वादी स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हैं?
4. क्या म.प्र. शासन प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है?
5. सहायता एवं व्यय?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

वाद प्रश्न कमांक-1

5. उक्त वादप्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। उक्त वादप्रश्न के संबंध में वादी

रुस्तम सिंह वा.सा.1 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि ग्राम पखोजिया परगना गोहद में भूमि सर्वे क्र. 174 करवा 0.32 हेक्टेयर के मिन रकवा 0.03 अर्थात् 3 विस्वा भूमि स्थित है, जिसकी लम्बाई चौड़ाई 75 गुणा 30 फीट है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों के समय से वादी का कब्जा बर्ताव है। वादग्रस्त जगह पर पूर्व में वादी के पशु बंधते थे एवं कृषि उपकरण आदि रखे जाते थे। बीस वर्ष पहले से वादी वादग्रस्त जगह पर घूरा डालने लगा है उसके द्वारा लगाये हुए कुछ वृक्ष भी वादग्रस्त भूमि पर खड़े हैं एवं गौणा की चारों ओर से नींव खोदकर नींव भरी है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का निरंतर कब्जा बर्ताव है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर जमींदारी काल में ही माफीदार ने दिनांक 23/04/43 को वादी को निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी। वादग्रस्त भूमि पर वादी का हर किस्मी कब्जा बर्ताव है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में वादग्रस्त भूमि के संबंध में पुलिस थाना मौ में की गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अतिक्रमण का नोटिस प्रदर्श पी 2, पंचनामा प्रदर्श पी 3, ग्राम पंचायत मघन का ठहराव प्रस्ताव प्रदर्श पी 4 एवं एस.डी.ओ. महोदय गोहद को दिया गया आवेदन प्रदर्श पी 5 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 6 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित जगह सरकारी है एवं यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन की उसके पास कोई किताब नहीं है। विवादित जगह पर भूमि स्वामी के स्थान पर उसका नाम है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने विवादित भूमि के संबंध में अपने नाम के कागज प्रकरण में पेश नहीं किये हैं। पद क्र. 7 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि विवादित जगह पर प्रतिवादीगण ने चार-पांच टोली गुम्मा एवं दस पचास टोली मिट्टी डलवा दी है तब से लेकर आज तक विवादित जगह पर प्रतिवादीगण की गुम्मा व मिट्टी डली हुयी है। वह विवादित जगह पर घूरा डालता है इसके अलावा उसका कोई बर्ताव नहीं है, उसकी रिपोर्ट पर से गांव में पुलिस आयी थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने भगवान सिंह एवं प्रतिवादीगण का विवादित जगह पर कब्जा पाया था इसलिए ईंटें व मिट्टी नहीं हटाई थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जगह पर उसका कब्जा नहीं है एवं व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण का भी कब्जा नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित जगह पर प्रतिवादीगण की ईंटें व मिट्टी होने के कारण उक्त जमीन प्रतिवादीगण की है। पद क्र. 8 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी जगह निस्तार चरनोई के ठहराव का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। पद क्र. 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित जगह शासन की है एवं यह भी स्वीकार किया है कि उसने शासन को प्रकरण में प्रतिवादी नहीं बनाया है।

7. वादी साक्षी रामप्रकाश वा.सा.2 एवं जनवेद वा.सा.3 ने भी वादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत की है।

8. प्रतिवादी रामस्वरूप प्र.सा.1 द्वारा वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए व्यक्त किया गया है कि सर्वे क्र. 174 की भूमि ग्राम आबादी से लगी हुयी है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण के निस्तार बर्ताव की है। वादीगण का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व में प्रतिवादीगण के मकान बने हुये हैं तथा मकानों के दरवाजे वादग्रस्त भूमि में खुलते हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के घूरे गिरते हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण के लगाये हुये पेड़ लगे हैं। प्रतिवादीगण की ईंटें रखी हैं एवं प्रतिवादीगण के मवेशी बांधे जाते हैं इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का निरंतर कब्जा बर्ताव है। वादग्रस्त भूमि पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की नजर है इसलिए वह वादग्रस्त भूमि को फर्जी कागजात बनाकर हड़पना चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का पूर्वजों के समय से कब्जा है तथा ग्राम पंचायत जमदारा ने भी दिनांक 29/08/74 को प्रतिवादीगण के पूर्वजों को निर्माण करने की अनुमति दी थी तभी से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य है। प्रतिवादीगण ने अपने अभिवचनों के समर्थन में ग्राम पंचायत जमदारा का पत्र दिनांक 30/08/74 प्रदर्श डी1 जुर्माना रशीद दिनांक 28/04/10 प्रदर्श डी2 अतिक्रमण के नोटिस प्रदर्श डी3 एवं 4 नायब तहसीलदार वृत्त मौ की आदेश पत्रिका दिनांक 08/08/14 प्रदर्श डी6 अनुविभागीय अधिकारी गोहद का पत्र दिनांक 30/07/14 प्रदर्श डी8 राजस्व निरीक्षक वृत्त मौ का प्रतिवेदन प्रदर्श

डी9 एवं पंचनामा प्रदर्श डी11 प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्र. 5 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है पखोजिया ग्राम पंचायत मधन का गांव है।

9. प्रतिवादी साक्षी ओंकार सिंह प्र.सा.2 ने भी प्रतिवादी के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

10. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त जगह पर वादी का आधिपत्य है जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त जगह शासकीय निस्तार की भूमि है। उक्त जगह वादी के आधिपत्य की नहीं है।

11. प्रस्तुत प्रकरण में वादी रूस्तम सिंह वा0सा0 01 द्वारा अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 174 रकवा 0.32 हेक्टेयर के मिन रकवा 0.03 हेक्टेयर भूमि पर उसका आधिपत्य है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विवादित जगह सरकारी है। यद्यपि वादी रूस्तम वा0सा0 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि विवादित जगह पर स्वामी के रूप में उसका नाम है, परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 174 रकवा 0.03 हेक्टेयर पर वादी का स्वामित्व दर्शित होता हो। वादी रूस्तम वा0सा0 1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि वह विवादित जगह पर घूरा डालता है इसके अलावा उसका कोई बर्ताव नहीं है एवं यह भी स्वीकार किया गया है कि उसकी रिपोर्ट से पुलिस गांव में आई थी एवं पुलिस ने वादग्रस्त जगह पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया था एवं यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जगह पर उसका कब्जा नहीं है।

12. वादी साक्षी रामप्रसाद वा0सा0 2 एवं जनवेद वा0सा0 3 ने अपने शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना बताया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि विवादित जगह शासकीय है। वादी साक्षी जनवेद वा0सा0 03 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि विवादित जगह निस्तार चरनोई भूमि है।

13. इस प्रकार वादी रूस्तम सिंह वा0सा0 1 एवं वादी साक्षी रामप्रसाद वा0सा0 2 एवं जनवेद वा0सा0 3 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय निस्तार की भूमि है। यद्यपि वादी साक्षी रामप्रसाद वा0सा0 2 एवं जनवेद वा0सा0 3 ने वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना बताया है परंतु स्वयं वादी रूस्तम वा0सा0 01 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि विवादित जगह पर उसका कब्जा नहीं है। इस प्रकार उक्त बिंदु पर वादी रूस्तम सिंह वा0सा0 1 एवं रामप्रसाद वा0सा0 2 एवं जनवेद वा0सा0 3 के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं। वादी रूस्तम सिंह वा0सा0 01 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका स्वामित्व नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त बिंदु पर वादी साक्षी रामप्रसाद वा0सा0 2 एवं जनवेद वा0सा0 3 के कथन सत्य प्रतीत नहीं होते हैं।

14. वादी ने वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य होना बताया है, परंतु वादी द्वारा उक्त बिंदु पर जो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, उससे वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य दर्शित नहीं है। जहां तक उक्त बिंदु पर आई दस्तावेजी साक्ष्य का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी रूस्तम सिंह वा0सा0 1 ने वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य के संबंध में प्र0पी0 4 का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया है एवं व्यक्त किया है कि प्र0पी0 04 का ठहराव उसे राजेन्द्र नेताजी ने दिया था। वादी द्वारा उक्त संबंध में प्र0पी0 02 की बेजा कब्जा करने की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। जहां तक प्र0पी0 2 की रिपोर्ट का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी रामस्वरूप प्र0सा0 1 द्वारा भी वादग्रस्त भूमि पर बेजा कब्जा करने की रिपोर्ट प्र0डी0 3 एवं प्र0डी0 4 प्रस्तुत की गई है। प्र0पी0 2 की रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि पर वादी रूस्तम सिंह द्वारा अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख है जबकि प्र0डो 3 एवं प्र0डी 04 की रिपोर्ट में प्रतिवादी कप्तान सिंह द्वारा वादग्रस्त भूमि पर घूरा डालकर अतिक्रमण किए जाने का उल्लेख है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा जो प्र0पी0 4 की बेजा कब्जा करने की रिपोर्ट प्रकरण में प्रस्तुत की गई है, उससे यही दर्शित होता है वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। वादी वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण की हैसियत से काबिज है एवं अतिक्रमण को विधि कोई सहायता प्रदान नहीं करती है।

15. वादी द्वारा प्रकरण में प्र0पी0 4 का ठहराव प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है एवं प्र0पी0 4 के ठहराव प्रस्ताव में वादी रूस्तम सिंह का कब्जा मान्य किए जाने का उल्लेख है, परंतु यहां यह उल्लेखनीय है कि प्र0पी0 2 एवं प्र0डी0 3 एवं प्र0डी0 4 की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि शासकीय निस्तार की भूमि है। वादी रूस्तम वा0सा0 1 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय निस्तार की भूमि है एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अनुसार निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए प्रथक रखी गई भूमियां कलेक्टर की मंजूरी से ही व्यपवर्तित की जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्र0पी0 4 के ठहराव प्रस्ताव से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

16. वादी ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह अभिवचनित किया है कि वह लगभग 20 वर्ष से वादग्रस्त भूमि पर घूरा डाल रहा है एवं वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है, परंतु प्रतिवादी द्वारा जो प्र0डी0 9 की राजस्व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी कप्तान सिंह द्वारा काबिज होकर घूरा डालने का उल्लेख है। वादी द्वारा प्र0डी0 9 के दस्तावेज का कोई खंडन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्र0डी0 9 की रिपोर्ट से भी वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य दर्शित नहीं होता है। वादी ने अपने वादपत्र एवं शपथपत्र में यह भी अभिवचनित किया है कि वह वादग्रस्त भूमि पर पूर्वजों के समय से काबिज है परंतु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के पूर्वज काबिज थे।

17. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर आधिपत्य होने के संबंध में प्र0पी0 02 की रिपोर्ट प्र0पी0 3 का पंचनामा एवं प्र0पी0 4 का ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है परंतु वादी रूस्तम सिंह वा0सा01 द्वारा स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य नहीं है। चूंकि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य न होना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी की स्वीकारोक्ति से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है।

18. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समस्त विवेचना से एवं उपरोक्त बिंदु पर वादी द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि वादी ग्राम पखोजिया परगना गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्र. 174 मिन रकवा 3 विस्वा जिसकी लम्बाई 75 फीट एवं चौड़ाई तीस फुट है, जिसके पश्चिम में सड़क, पूर्व में लालसिंह का मकान उत्तर में पड़त जगह एवं दक्षिण में शासकीय हैण्डपंप है जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अ,ब,स,द से चिन्हित किया गया है का पूर्वजों के समय से आधिपत्यधारी है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं हैं।

वाद प्रश्न कमांक-2 एवं 3

19. उक्त वादप्रश्नों का निष्कर्ष वादप्रश्नक्र01 के निष्कर्ष पर आधारित है। वाद प्रश्नक्र01 के निष्कर्ष अनुसार वादी वादग्रस्त जगह पर अपना आधिपत्य प्रमाणित करने में असफल रहा है। चूंकि वादग्रस्त जगह पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त जगह पर वादी के आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। । फलतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

वाद प्रश्न कमांक-4

20. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है एवं वादी द्वारा शासन को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रकरण में असंयोजन का दोष है, जबकि वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि उसके द्वारा मात्र स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादग्रस्त भूमि ग्राम आबादी की भूमि है। अतः मध्यप्रदेश शासन को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है।

21. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रं 174 मिन रकवा 3 विस्वा की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। वादी रूस्तम वा0सा0 1 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है। इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय निस्तार की भूमि है। वादी द्वारा शासकीय भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है एवं वादी द्वारा म0प्र0 शासन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है अतः म0प्र0 शासन प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। वादी द्वारा म0प्र0 शासन

को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में असंयोजन का दोष है।

सहायता एवं व्यय

22. समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

23. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जावेगा।

24. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक –31.03.2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

सही / –

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0